


360



न्यायालय श्रीमान सदस्य महोदय, राजस्व मंडल, ग्वालियर (म.प्र.)

कैम्प-भोपाल

निगरानी-4322/2018/सीहोर/श्र.श.

मंगल सिंह आ० सुटिया  
निवासी एवं कृषक ग्राम होलीपुरा,  
तहसील-बुदनी जिला-सीहोर (म.प्र.)

निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. सुभाष आ० प्रेमदास
2. अशोक आ० प्रेमदास
3. संतोष आ० प्रेमदास
4. फूलवती बाई बेवा प्रेमदास  
समस्त निवासी एवं कृषक ग्राम होलीपुरा  
तहसील-बुदनी, जिला-सीहोर (म.प्र.)

अभिभावक श्री राजेश कुमार  
द्वारा आज दिनांक 8/8/18  
को पेस।  
अधीनस्थ

प्रतिनिगरानीकर्तागण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.राजस्व संहिता

महोदय,

निगरानीकर्ता विद्वान अनुविभागीय अधिकारी बुदनी, जिला-सीहोर द्वारा  
अपील प्रकरण क्रमांक 28/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक  
20/04/2018 से असंतुष्ट होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर यह

*(Handwritten signature)*

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक R/4322/18/सीटी/कूर, मंगल सुभाष

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश  | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--------------------------------------|
| 20/12/18         | <p>आवेदक की ओर से श्री राजेश वर्मा अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुद्धनी के प्रकरण क्रमांक 28/84/16-17 में पारित आदेश दिनांक 20/04/18 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भूराजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीटी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 03/04/19 को कलेक्टर जिला सीटी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> |                                      |

सदस्य

AS